2010: CG: 8851

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2543/2005

याचिकाकर्ता : सूरज प्रकाश अग्रवाल

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग.) और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

1 अप्रैल, 2010 को उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करे ।

सही/-

श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2543/2005

याचिकाकर्ता : सूरज प्रकाश अग्रवाल

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग.) व 2 अन्य

उपस्थित: श्री एस. पी. काले, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अजीत सिंह, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(1 अप्रैल, 2010 को पारित)

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न वेतन पुनरीक्षण नियमों के तहत समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों को देय विभिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका दिनांक 08-06-1998 को दायर की थी, जबकि याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 28-02-1994 को सेवानिवृत्त हुए थे।

3. संबंधित विवाद के निर्णय के लिए सुसंगत और आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग में उप अभियंता के पद पर दिनांक 06-03-1956 को हुई थी। सेवा में रहते हुए, 280-480/- रुपये का वेतनमान प्राप्त करते हुए, फकीरचंद

वेतनमान 1977 उन लोगों को प्रदान किया गया था जो निम्न वर्ग से संबंधित थे। 2 अगस्त 1983 के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन के अंतर्गत दिनांक 01-04-1977 से इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित याचिकाकर्ता को 450-820/- रुपये का फकीरचंद वेतनमान प्रदान किया गया था और समय-समय पर स्वीकार्य वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 01-04-1977 को उसका मूल वेतन 675/- रुपये निर्धारित किया गया था। उपरोक्त वेतनमान के अंतर्गत, याचिकाकर्ता का मूल वेतन दिनांक 06-02-1981 को 850/- रुपये हो गया।

4. इस स्तर पर, चौधरी वेतन आयोग की अनुशंसा पर वेतन पुनरीक्षण मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1983 (जिसे अब "1983 के नियम" कहा जाएगा) प्रख्यापित करके लागू किया गया, जिसे सामान्यतः चौधरी वेतनमान के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता का चौधरी वेतनमान दिनांक 01-04-1981 से लागू हुआ। 1983 के नियमों के अंतर्गत पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता का वेतन, सहायक अभियंता के पद के लिए स्वीकार्य पांडे वेतनमान में कार्यरत रहने पर उसके वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण के बाद, नए वेतनमान, जिसे वोरा वेतनमान के रूप में जाना जाता है, में वेतन निर्धारण किया गया, जो दिनांक 01-01-1986 से लागू था। बाद में, दिनांक 01-01-1986 से केंद्रीय वेतनमान लागू किए गए और लाभ बढ़ाए गए। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री यह नहीं दर्शाती है कि चौधरी, वोरा और केंद्रीय वेतनमानों में किए गए वेतन निर्धारण पर याचिकाकर्ता ने कभी विवाद किया था।

6. उसके सेवा के अंतिम चरण में, चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण, जो अन्यथा बहुत पहले तय हो चुका था, पुनः खोला गया और मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर ने वर्ष 1992-93 से चौधरी वेतनमान में याचिकाकर्ता के पूर्व वेतन निर्धारण को परिवर्तित कर दिया, जो अनुलग्नक ए-2 से परिलक्षित होता है। यह वेतन निर्धारण संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन की जाँच में खरा नहीं उतरा जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

7. याचिकाकर्ता दिनांक 28-02-1994 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के दो वर्ष से अधिक समय बाद, याचिकाकर्ता ने वेतन निर्धारण के संबंध में विवाद

उठाया। यह दिनांक 14-11-1996 (अनुलग्नक ए-6), 18-11-1996 (अनुलग्नक ए-7), 03-12-1996 (अनुलग्नक ए-8), 03-02-1997 (अनुलग्नक ए-3), 30-05-1997 (अनुलग्नक ए-4), 30-07-1997 (अनुलग्नक ए-5) और 03-02-1998 (अनुलग्नक ए-10) के अभ्यावेदनों से स्पष्ट है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे का आधार यह है कि दिनांक 01-04-1981 से चौधरी वेतनमान और उसके बाद के वेतनमानों में वेतन का प्रारंभिक निर्धारण सही और उचित नहीं था। वर्ष 1992-93 में मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 01-04-1981 को चौधरी वेतनमान में वेतन का उचित निर्धारण करके इसे ठीक किया गया था, लेकिन संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन के कार्यालय द्वारा इसे गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, 1993 में चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण सही रूप से पांडे वेतनमान में उनके मूल वेतन 620/- रुपये को आधार मानकर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चौधरी वेतनमान में उनका वेतन 1370/- रुपये हो गया। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि संयुक्त निदेशक ने अवैध रूप से मूल वेतन 620 से 590 कर दिया और याचिकाकर्ता का वेतन दिनांक 01-04-1981 से चौधरी वेतनमान में गलत तरीके से 1330 रुपये निर्धारित कर दिया। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि पांडे वेतनमान में उसका मूल वेतन 650 रुपये मानकर उसका वेतन 1410 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस दलील के आधार पर, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका वेतन दिनांक 01-04-1981 से चौधरी वेतनमान में ऊपर बताए गए तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए था और उसके बाद, बाद के पुनरीक्षित वेतनमान, अर्थात् वोरा वेतनमान आदि में वेतनमान का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है और सभी ऐसे पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बकाया वेतन के परिणामी लाभ भी दिए जाएँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एक अन्य तर्क यह है कि एक अन्य सहायक अभियंता, बांकेलाल, सेवाकाल में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, लेकिन बांकेलाल के वेतनमान में संशोधन करते समय, उन्हें दिनांक 01-04-1981 से चौधरी वेतनमान में 1410/- रुपये निर्धारित कर दिया गया, जिससे उनका मूल वेतन 650/- रुपये हो गया। अतः याचिकाकर्ता का दावा है कि वह भी बांकेलाल को दिए गए समान लाभ के हकदार थे। अपने मामले को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र संख्या डी/1041/2422/74/आर-II-IV दिनांक 17-09-1974 का हवाला दिया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क यह है कि चूँकि संशोधित वेतनमान में वेतन के पुनर्निर्धारण पर, याचिकाकर्ता का कनिष्ठ अधिकारी उच्च वेतन प्राप्त कर रहा था, इसलिए इस विसंगति को याचिकाकर्ता के वेतन को उस उच्च पद पर कनिष्ठ अधिकारी के लिए निर्धारित वेतन के बराबर बढ़ाकर दूर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता आगे प्रार्थना करता है कि वेतनमान के ऐसे पुनर्निर्धारण पर वह उचित मात्रा में उपदान, ब्याज और अन्य परिणामिक लाभों का हकदार है।

10. याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए, उतरदातागण का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01-04-1981 से पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में सही ढंग से वेतन निर्धारित किया गया था और उसके बाद के वेतनमान अर्थात् वोरा और केंद्रीय वेतनमान के पुनरीक्षण पर वेतन निर्धारण किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य अभियंता द्वारा 1993 में याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सेवा के अंतिम चरण में उनके वेतन निर्धारण को पुनरीक्षित करना उचित नहीं था, जो कि बहुत पहले किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में वेतन का निर्धारण सही ढंग से किया गया था और याचिकाकर्ता का वेतन 1330 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसमें मौजूदा वेतन के तहत 620 रुपये मूल वेतन था। वेतनमान न्यायसंगत और उचित था तथा 1983 के नियम (चौधरी वेतनमान) में निहित प्रावधानों के अनुरूप था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कथित भेदभाव से संबंधित याचिकाकर्ता के तर्क के दूसरे भाग के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि बांकेलाल और याचिकाकर्ता दोनों वर्ष 1977 में 480/- रुपये वेतन प्राप्त कर रहे थे। जुलाई 1978 में, बांकेलाल को नहर उप-कलेक्टर (एक राजपत्रित पद) के रूप में पदोन्नत किया गया। उनका वेतन 530/- रुपये निर्धारित किया गया था। इस स्तर पर, बांकेलाल उच्च वेतनमान पर पहुँच गए और यह अंतर बना रहा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का बांकेलाल के साथ समानता स्थापित करने का प्रयास, वह भी वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि के 20 वर्ष बाद, उचित नहीं है।

उत्तरदातागण का आगे यह तर्क है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी विवाद के समय-समय पर उन्हें प्रदान किए गए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन स्वीकार कर लिया और इस प्रकार प्रतिवादियों की कार्रवाई से सहमत हो गए। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का दावा, चाहे वह चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में हो या बांकेलाल के साथ समानता पर आधारित हो, दोनों ही विलंब और उपेक्षा के कारण वर्जित हैं।

11. याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करता है कि जब वह सेवा में था और पांडे वेतनमान ₹ 280-480/- में वेतन प्राप्त कर रहा था, तब उसे फकीरचंद वेतनमान का लाभ मिला था और दिनांक 01-04-1977 को उसे उस वेतनमान 440-820 में ₹ 675/- पर नियत किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 05-01-1980 को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि पांडे वेतनमान में उसका मूल वेतन 650 रुपये मानकर चौधरी वेतनमान में उसका वेतन 1410 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए था। यह दावा इस दलील पर आधारित है कि चूँकि वह फकीरचंद वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा था, इसलिए पांडे वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करने के लिए, पांडे से फकीरचंद वेतनमान में वेतन निर्धारण के मामले में तालिका संख्या 3 में दिए गए सूत्र को आधार माना जाना चाहिए था। यह याचिकाकर्ता का तर्क निराधार है। याचिकाकर्ता पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का दावा केवल लागू वेतन पुनरीक्षण नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही कर सकता है, अन्यथा नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. चौधरी वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा वैधानिक नियम बनाए गए, जिन्हें मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1983 के रूप में जाना जाता है। ये नियम 1 अप्रैल 1981 को लागू माने गए और पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने को विनियमित करते हैं। जिस सरकारी कर्मचारी पर ये नियम लागू होते हैं, वह वेतन पुनरीक्षित किए जाने का दावा करने का हकदार है। नियमों के प्रावधानों के बाहर वेतन संशोधन का कोई भी दावा कानून के तहत प्रवर्तनीय नहीं है। पूरी याचिका में, यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता 2500/- रुपये वेतन निर्धारण का हकदार था, याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 2500/- रुपये वेतन निर्धारण का हकदार था। चौधरी वेतनमान में 1410/- रुपये का वेतन निर्धारित करते हुए उनका मूल वेतन 650/- रुपये मानते हुए, वैधानिक नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में कोई दलील नहीं है और न ही 1983 के नियमों के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित फार्मूले का कोई संदर्भ है। कानून के प्रावधानों के संदर्भ के बिना, केवल इतना कहा गया है कि चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को फकीरचंद से पांडे वेतनमान में वापस करते समय, फकीरचंद वेतनमान के अनुदान के मामले में वेतन रूपांतरण सूत्र को आधार बनाया जाना चाहिए था, जैसा कि तालिका संख्या 3 (अनुलग्नक ए-1) में दर्शाया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी 1983 के नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में याचिकाकर्ता के दावे को पुष्ट करने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है।

उत्तरदातागण ने अपने उत्तर में सही ढंग से दावा किया है कि तालिका संख्या 3 (अनुलग्नक ए-1) में निहित सूत्र, पांडे वेतनमान से फकीरचंद वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में था। जबकि, यह एक विपरीत सूत्र है। पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण का अनुमान तालिका संख्या 3 (अनुलग्नक ए-1) से नहीं लगाया जा सका। एक बार वेतनमान का पुनरीक्षण वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित हो जाने पर, उसे पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना चाहिए और वेतन संशोधन की वैधानिक योजना के अनुसार वेतन पुनरीक्षण के अलावा किसी अन्य तरीके से वेतन पुनरीक्षण का कोई भी दावा कानून के तहत पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 1983 के नियमों का नियम 3 निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"3. **पुनरीक्षित वेतनमान**- अनुलग्नक । और ॥ के स्तंभ 2 और 3 में दर्शाए गए मौजूदा वेतनमान वाले किसी भी पद पर लागू पुनरीक्षित वेतनमान, उस पद के संबंध में स्तंभ 4 में दर्शाया गया संगत वेतनमान होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, जिस वेतनमान के संदर्भ में वेतन पुनरीक्षित किया जाना है, वह अनुलग्नक । और ॥ के स्तंभ 2 और 3 में दर्शाया गया विद्यमान वेतनमान होगा, और संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान अनुलग्नक । और ॥ के स्तंभ 4 में निर्दिष्ट किया गया है। 1983 के नियमों के नियम 2 (घ) के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान को परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"2. (घ) 'विद्यमान वेतनमान' का अर्थ अनुलग्नक । के स्तंभ 2 और अनुलग्नक ॥ के स्तंभ 3 में दर्शाया गया वेतनमान है।"

14. अनुलग्नक-I के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि 1983 के नियमों के प्रयोजनों के लिए विद्यमान वेतनमान, पाण्डेय वेतनमान है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1983 के नियमों के अंतर्गत पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, विद्यमान वेतनमान, पाण्डेय वेतनमान होगा।

15. इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस समय दिनांक 01-04-1981 से पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान करने वाले 1983 के नियम लागू हुए, उस समय याचिकाकर्ता पहले से ही सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत था और फकीरचंद वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा था। चूँकि 1983 के नियमों में मौजूदा वेतनमान के संदर्भ में वेतन पुनरीक्षण की परिकल्पना की गई थी, इसलिए सहायक अभियंता के पद के लिए निर्धारित पांडे वेतनमान में याचिकाकर्ता के वेतन को आधार बनाया जाना था। उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत वेतन-निर्धारण चार्ट (अनुलग्नक आर-4) से पता चलता है कि सहायक अभियंता के पद के लिए पांडे वेतनमान में याचिकाकर्ता का वेतन फरवरी, 1981 में 560 रुपये निर्धारित किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सहायक अभियंता के पद के लिए निर्धारित तत्कालीन मौजूदा पांडे वेतनमान 425-900 रुपये था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए उत्तरदातागण ने सहायक अभियंता के पद के लिए निर्धारित पांडे वेतनमान 425-900/- में याचिकाकर्ता का मूल वेतन 560/- रुपये मान लिया। 1983 के नियमों में निहित प्रावधान को लागू करते हुए, मूल वेतन 590/- रुपये (जो ऊपर दर्शाए गए 560/- रुपये से अधिक है) लेते हुए, पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में याचिकाकर्ता का वेतन, अनुलग्नक आर-3 के माध्यम से, उत्तरदातागण द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा किए गए वेतन निर्धारण (अनुलग्नक ए-2) के विपरीत तय किया गया है। यह स्पष्ट है कि 650/- रुपये के रूप में मूल वेतन का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए-1 पर भरोसा किया है जो पांडे वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध में फकीरचंद वेतनमान में वेतन निर्धारण निर्धारित करने वाली एक तालिका है। यह भ्रामक दृष्टिकोण याचिकर्ता के सम्पूर्ण दावे का आधार हैं । हालाँकि, जब नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में याचिकाकर्ता के मामले की जाँच की गई, तो पाया गया कि संशोधि पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में याचिकाकर्ता के वेतन का वेतन-निर्धारण, उसका मूल वेतन रु.590/- मानते हुए, किसी भी तरह से 1983 के नियमों के तहत निहित वेतन पुनरीक्षण की वैधानिक योजना का उल्लंघन में नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारण 1983 के नियमों के अनुरूप कैसे और किस प्रकार नहीं था। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में उसका वेतन 01-04-1981 से 1410/- रुपये निर्धारित किया जाना था, यह मानते हुए कि उसका आधार वेतन 650/- रुपये है, जैसा कि मुख्य अभियंता ने वर्ष 1992-93 में निर्धारित किया था, कोई आधार नहीं रखता और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

16. याचिकाकर्ता का दूसरा तर्क कि वह वेतन वृद्धि का हकदार था, क्योंकि पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन संशोधन के बाद उसे अपने कनिष्ठ से कम वेतन मिल रहा था, मूलतः अस्वीकार किए जाने योग्य है। यह विवादित नहीं है कि हालांकि याचिकाकर्ता और बांकेलाल दोनों उप-इंजीनियर के रूप में काम करते हुए वर्ष 1977 में 480 रुपये वेतन प्राप्त कर रहे थे, बांकेलाल को 1978 में नहर उप कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन और वेतनमान में परिवर्तन हुआ। जवाबदावा में किया गया कथन कि 1978 से बांकेलाल याचिकाकर्ता की तुलना में उच्च वेतन का आनंद ले रहे थे, विवादित नहीं है। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं अनुलग्नक ए-9 के रूप में अभिलेख पर रखे गए चार्ट से भी यह स्पष्ट है कि हालांकि याचिकाकर्ता को दिनांक 06-02-1990 को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, बांकेलाल को दिनांक 10-08-1978 को नहर उप कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। विसंगति को दूर करने के लिए वेतन बढ़ाने का लाभ, जैसा कि दिनांक 17-09-1974 के परिपत्र के तहत प्रदान किया गया है, केवल उस परिपत्र के खंड 2 की शर्तों (ए), (बी) और (सी) की पूर्ति के अधीन उपलब्ध है। दिनांक 17-09-1974 के परिपत्र का खंड 2 जो इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है, नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "2. उपरोक्त विसंगति को दूर करने के लिए, राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि ऐसे मामलों में उच्च पद पर पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाकर उसके बराबर कर दिया जाए। उस उच्च पद पर दिनांक 01-01-1972 को या उसके बाद पदोन्नत कनिष्ठ अधिकारी के लिए निर्धारित वेतन के बराबर किया जाना चाहिए यह वेतन वृद्धि कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तिथि से प्रभावी होनी चाहिए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होनी चाहिए:-
>
> (क) कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी दोनों एक ही संवर्ग के होने चाहिए और जिन पदों पर उन्हें पदोन्नत किया गया है, वे उसी संवर्ग में समान होने चाहिए।
>
> (ख) जिन निम्न और उच्च पदों पर वे वेतन पाने के हकदार हैं, उनके अपुनरीक्षित वेतनमान और पुनरीक्षित वेतनमान समान होने चाहिए, और
>
> (ग) विसंगति पुनरीक्षित वेतनमान में एफ.आर. 22-डी के प्रावधानों के लागू होने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि निम्न पद पर भी, कनिष्ठ अधिकारी सामान्य नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण या उसे दी गई किसी अग्रिम वेतन वृद्धि के

कारण, अपुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस निर्णय को वरिष्ठ अधिकारी के वेतन में वृद्धि के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

17. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए, कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी दोनों एक ही संवर्ग के होने चाहिए और जिन पदों पर उन्हें पदोन्नत किया गया है, वे एक ही संवर्ग में समान होने चाहिए और जिस निम्न और उच्च पद पर वे वेतन पाने के हकदार हैं, उनका पुनरीक्षित वेतनमान भी समान होना चाहिए। तीन आवश्यक शर्तें यह हैं कि विसंगति पुनरीक्षित वेतनमान में एफ. आर. 22 डी के प्रावधानों के लागू होने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

प्रस्तुत मामले की जाँच से पता चलता है कि जिस तिथि को पुनरीक्षित वेतनमान लागू हुआ, उस तिथि तक याचिकाकर्ता और बांकेलाल का अपुनरीक्षित वेतनमान समान नहीं था। बांकेलाल को पहले ही नहर उप-कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था, जबकि याचिकाकर्ता को उसके बाद सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति दिया गया ऐसी स्थिति में, परिपत्र का दिनांक 17.09.1974 का लाभ उपलब्ध नहीं था। अतः याचिकाकर्ता के दावे में कोई सार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पुनरीक्षित चौधरी वेतनमान में याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारण 1983 के नियमों के अंतर्गत किया गया था, जिसके बाद वोरा में पुनरीक्षण किया गया और उसके बाद केंद्रीय वेतनमान में पुनरीक्षण किया गया। 20 वर्ष से अधिक की इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता 1994 में सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद ढाई वर्ष से अधिक समय बाद उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, उनका पहला अभ्यावेदन दिनांक 14.11.1996 (अनुलग्नक ए-6) था।

जहाँ तक समानता पर आधारित दावे का संबंध है, बांकेलाल का वेतन भी 1983 के पुनरीक्षित नियमों के अंतर्गत बहुत पहले निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता ने कोई विवाद नहीं उठाया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मुख्य अभियंता द्वारा एक नया वेतन निर्धारण प्रस्तावित किया गया था, जिसे संयुक्त निदेशक, लेखा, कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता का दावा न केवल सारहीन है, बल्कि अत्यधिक विलंब से किया गया हैं।

19. याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा।

सही/-

श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Durga Mehar